फैक्स/विशेष संवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या: 437/6/1/ईसीआई/अनु/प्रकार्या./एमसीसी/2017 दिनांक: 29 जून, 2017

सेवा में

1. मंत्रीमंडलीय सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिव
   क) अरूणाचल प्रदेश सरकार
   ख) नागालैण्ड सरकार

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:
   क) अरूणाचल प्रदेश
   ख) नागालैण्ड

विषय: अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर अनुदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./53/2016 के द्वारा विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचन घोषित किए हैं:

राज्य का नाम	**निधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या**
अरूणाचल प्रदेश	12- पक्के-कसांग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
नागालैण्ड	10- उत्तरी अंगामी-। (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

जो जिला/जिले उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूरा भाग या उसका कोई अंश है तो उसमें आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे और यह आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 को इसके पत्र संख्या 437/6/अनु/2016-सीसीएस द्वारा यथा जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन होगा।

2. इसे कृपया सभी संबंधितो के ध्यान में लाएं।

भवदीय

(आर.के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव